



भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
श्रीगंगानगर हाई-वे 10 Km, Mile stone बीछवाल, बीकानेर



फ.क्रमांक:-07(ii)01/CS/Auction/2023-24/ 1173 - 1181

दिनांक :- 14/06/2023

15

नीलामी सूचना एवं शर्तें

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीछवाल, बीकानेर में लगभग 300 वृक्षों पर लगें खजूर के फलों की नीलामी दिनांक 27/06/2023 को प्रातः 11:00 बजे रखी गई है, जिसकी निम्न शर्तें होगी :-

1. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को नीलामी बोली लगाने से पहले रूपये 5000/- (अखरे रूपये पाँच हजार मात्र) बतौर अमानती राशि के नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर के नाम से जमा कराने होंगे। जिस फर्म/व्यक्ति के नाम बोली छूट जायेगी, उसकी अमानती राशि जमा रखी जायेगी।
2. जिस व्यक्ति के नाम अन्तिम बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का 1/4 (एक चौथाई) भाग उस समय कार्यालय में जमा करवाना होगा। शेष राशि नीलामी छूटने के एक सप्ताह की अवधि में जमा करानी होगी। रकम जमा न करवाने की स्थिति में अमानती राशि व जमा रकम जप्त कर ली जायेगी। सम्पूर्ण नीलामी राशि के जमा कराने के उपरांत ही फलों की तुड़ाई का कार्य करने की अनुमति दी जायेगी।
3. यह नीलामी अहस्तान्तरणीय है अर्थात् जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी, वह व्यक्ति अन्य व्यक्ति को फल तोड़ने का ठेका नहीं दे सकेगा।
4. खजूर के फलों को तोड़ने की अनुमति प्रभारी फार्म अथवा खजूर प्रखण्ड प्रभारी, केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर से लेनी होगी। प्रत्येक किरम के चिन्हित (टेग लगे) पेड़ों की तुड़ाई से पूर्व अनुमति प्रभारी फार्म/खजूर प्रखण्ड प्रभारी, केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर से लेनी होगी। जिससे अनुसंधान कार्य में कोई बाधा न पहुँचे।
5. फलों की रखवाली की जिम्मेदारी नीलामी छूटने के बाद से दिनांक 15.08.2023 तक या इससे पूर्व फलों की तुड़ाई तक जो भी पहले हो ठेकेदार की होंगी। इसके बाद ठेकेदार का कोई हक खजूर के बगीचे में नहीं होगा। तुड़ाई, परिवहन व विक्रय सम्बन्धी समस्त कार्य ठेकेदार का ही होगा। विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. प्रत्येक किरम के 500 ग्राम फल ठेकेदार द्वारा केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर को अनुसंधान कार्य में कोई हेतु देना होगा। जिसके लिए संस्थान द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा।
7. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि फलों की तुड़ाई के समय वृक्षों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुँचे जैसे फलों के गुच्छों को काटते समय पौधे की पत्तियां नहीं काटे साथ ही खजूर के वृक्षों पर किये जाने वाले प्रयोगों को न तो किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जायेगी और न ही किसी प्रकार की रुकावट पैदा की जायेगी। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो उसका हर्जाना ठेकेदार से वसूल किया जायेगा।
8. नीलामी में बताये गये फलों के पौधों के अलावा दूसरे अन्य पेड़ों पर ठेकेदार का कोई अधिकार नहीं होगा।
9. वृक्षों पर किसी भी तरह की दवा छिड़कने वे अन्य कार्यों पर ठेकेदार का कोई अधिकार नहीं होगा।
10. खजूर के बगीचे में इस समय लोहे/नॉन वुअन की जालियां लगी हैं, जिनकी गिनती मौके पर कराकर, फलों की तुड़ाई से पूर्व इन जालियों की पावती/रसीद ले ली जायेगी। खजूर फल तुड़ाई के साथ-साथ यह जालियां उतार कर सही अवस्था में विभाग में जमा करानी होगी, अन्यथा इनकी रकम ठेकेदार से वसूल की जायेगी।
11. फल तोड़ने का समय प्रातः 08:00 बजे से सायंकाल 05:00 बजे तक रहेगा। फलों को बाहर ले जाने का अनुमति पत्र (गेट-पास) प्रभारी अधिकारी से लेना होगा, तत्पश्चात् ही सुरक्षा अधिकारी (प्रहरी) गेट से फलों को ले जाने देगा।
12. प्राकृतिक आपदा (जैसे :- वर्षा, आँधी, तूफान आदि) एवं अन्य किसी प्रकार से फलों को नुकसान होने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

13. सभी प्रकार के कर [GST/I.T.] के भुगतान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, संस्थान द्वारा भुगतान नहीं किया जावेगा।
14. रविवार अवकाश में खजूर फल तोड़ने एवं संस्थान से बाहर ले जाने पर रोक रहेगी।
15. सभी विवादित मामलों में निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। नीलामी बोली छोड़ने या न छोड़ने का पूर्ण अधिकार नीलामी कमेटी / निदेशक केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर के पास सुरक्षित रहेगा।





भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
श्रीगंगानगर हाई-वे 10 Km, Mile stone बीछवाल, बीकानेर



नीलामी सूचना

भा.कृ.अनु.परिषद्— केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीछवाल बीकानेर में खजूर के लगभग 300 वृक्षों के फलों की नीलामी दिनांक 27/06/2023 को प्रातः 11:00 बजे संस्थान के फार्म पर की जायेगी। नीलामी से सम्बन्धित पूर्ण विवरण नियम एवं शर्त संस्थान की वेबसाईट ciah.icar.gov.in एवं Central Procurement Portal तथा संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय / प्रक्षेत्र कार्यालय 10वे कि.मी. का पत्थर, श्रीगंगानगर हाई-वे, बीछवाल, बीकानेर के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।

Sd/-

सहायक प्रशा. अधिकारी